पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य

बनाम

उपनगरीय कृषि डेयरी और मत्स्य पालन प्राईवेट लिमिटेड व अन्य 3 मई, 1993

(डॉ. टी.के.थोमेन, बी. रामास्वामी और के. रामास्वामी, जे.जे.) पश्चिम बंगाल संपदा अधिग्रहण अधिनियम, 1953

धारा 4(1),(3), 5(1), 6, 10, 44- मध्यस्थ की मत्स्य पालन सिहत भूमि का निहितार्थ- प्रभाव- छूट- फॉर्म 'बी घोषणा के अनुसार अधिकारियों द्वारा मध्यस्थ की भूमि की स्वीकृति- मध्यस्थ द्वारा कब्जा बनाए रखना- बेदखली कब- सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश।

पश्चिम बंगाल संपदा अधिग्रहण अधिनियम, 1953- धारा 44-अधिकार अभिलेख- अपील में पुनरीक्षण- जिसकी वैधता।

पश्चिम बंगाल संपदा अधिग्रहण अधिनियम, 1953- धारा 2(एच), 6,44- "अधिभार"संशोधित", "टैंक मत्स्य पालन"- निर्माण।

प्रत्यर्थी- कंपनी ने अपीलकर्ताओं को विचाराधीन भूमि को निहित करने और उसमें पड़ी टैंक मत्स्य पालन कर कब्जा करने से रोकने के लिए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की।

एकल न्यायाधीश ने पश्चिम बंगाल संपदा अधिग्रहण अधिनियम, 1953 की धारा 10(2) के तहत कार्यवाही करने और प्रत्यर्थियों को एक अवसर देते हुए उसके अनुसार भूमि पर कब्जा करने का निर्देश दिया।

अपील पर खंड पीठ ने कहा कि अपीलकर्ताओं को अपने फैसले के दो महीने की अवधि के भीतर पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम, 1955 के तहत कार्यवाही करनी चाहिए, ऐसा न करने पर प्रत्यर्थीगण भूमि के संबंध में व्यवहार करने और निपटान करने के लिए स्वतंत्र होंगे और तब तक अपीलकर्ताओं को भूमि पर कब्जा करने से रोका गया।

एकल न्यायाधीश और खंडपीठ ने पाया कि राजस्व अधिकारी ने भूमि के पुराने जामा को संशोधित करने के लिए कार्यवाही शुरू की क्योंकि उन्होंने अधिकारों के अभिलेख से पाया कि भूमि को 'बील' (दलदली भूमि) के रूप में वर्गीकृत किया गया था और अधिनियम की धारा 44(3) के तहत प्रत्यर्थी की अपील में यह मानते हुए अनुमित दी गई थी कि भूमि जो टैंक मत्स्य पालन की है, पुराना जामा को बनाए रखा जाना था।

विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि पश्चिम बंगाल संपत्ति अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 और 5 के लागू होने से, मत्स्य पालन उन हितों में से एक था जो समाप्त हो गया और राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त होकर 01.06.1956 से निहित हो गया। प्रत्यर्थीगण ने उसमें अधिकार, हक और हित खो दिया; चूंकि प्रत्यर्थी निर्दिष्ट समय के भीतर भूमि को बरकरार रखने का इरादा व्यक्त करते हुए फॉर्म 'बी में आवेदन करने मैं विफल रहा, इसलिए टैंक मत्स्य पालन सहित पूरी भूमि राज्य में निहित हो गई; अधिकारों के अभिलेख में प्रविष्टियों के अनुसार भूमि केवल बील (दलदल भूमि) थी और टैंक मत्स्य पालन नहीं थी और इसलिए, कब्जा बनाए रखने के विकल्प का प्रयोग भी उपलब्ध नहीं था; चूंकि प्रत्यर्थी ने विवाद उठाया था, एकल न्यायाधीश ने सही ही धारा 10(2) के तहत जांच करने और धारा 10(1) के तहत उसके परिणाम के अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया; खंड पीठ ने यह मानने में स्पष्ट त्रुटि की कि जामा से संबंधित धारा 44(3) के तहत अधिकरण का निर्णय अंतिम था और भूमि टैंक मत्स्य पालन के लिए थी और प्रत्यर्थी सभी अधिकार, हक और हित के साथ उसमें एक मालिक के रूप में खास कब्जा बनाए रखने का हकदार था; और यह कि पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम, 1955 के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्यवाही

शुरू करने का निर्देश दिया गया था और इसमें विफल रहने पर प्रत्यर्थी को भूमियों को अंतरित करने की स्वतंत्रता रिट याचिका में मांगे गए अनुतोष से परे थी।

प्रत्यर्थीगण ने निवेदन किया कि उन्होंने 1937 में भूमि के सबसे शुरुआती खरीदार से पट्टे के अधिकार खरीदे थे, जिन्होंने इसे मूल जमींदार से खरीदा था और तब से प्रत्यर्थीगण भूमि का उपयोग टैंक मत्स्य पालन के रूप में कर रहे थे; जब धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी की गई थी, तो भूमि का उपयोग टैंक मत्स्य पालन के रूप में किया जा रहा था; इसके निहित होने के बावजूद, धारा 6(2) के प्रभाव से, प्रत्यर्थी को मालिक के रूप में कब्जा बनाए रखने का अधिकार था; और धारा 10(1) के तहत बेदखली की कार्यवाही अवैध थी; यह कि प्रत्यर्थी को भूमि से बेदखल करने का दायित्य केवल तभी उत्पन्न होगा जब कब्जा गैरकानूनी पाया गया हो; और इसलिए, खंड पीठ ने पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करने और उसके तहत कार्यवाही करने का सही निर्देश दिया।

अपील को स्वीकार करते हुए, यह न्यायालय,

अभिनिर्धारितः 1.1. धारा 5 की उपधारा (1) के क्रियान्वयन से संपत्ति और संपत्ति में मत्स्य पालन सहित मध्यस्थों के सभी अधिकार निर्धारित और समाप्त हो जाएंगे और सभी बाधाओं से मुक्त होकर राज्य में निहित हो जाएंगे।(488-जी)

- 1.2. अधिनियम की धारा 2 (एच) के तहत परिभाषित "इनकम्ब्रेन्स का अर्थ है 'संपित और उसमें मध्यस्थों के अधिकारों के संबंध में, इसमें रैयत या अंडर-रैयत या गैर-कृषि किरायेदार के अधिकार शामिल नहीं हैं, लेकिन, धारा 6 के प्रावधानों के तहत एक मध्यस्थ द्वारा बनाए रखने की अनुमित वाली भूमि के मामले को छोड़कर, इसमें मध्यस्थों या अन्य व्यक्तियों से संबंधित किसी भी प्रकृति के सभी अधिकार या हित शामिल हैं, जो सम्पदा में शामिल भूमि या उसकी उपज से संबंधित हैं, इसलिए, भूमि का स्वामित्व, अधिकार या हित जिसमें एक मध्यस्थ द्वारा आयोजित मत्स्य पालन शामिल है, समास हो जाएगा और सभी बाधाओं से मुक्त होकर राज्य में निहित हो जाएगा।(488-एच, 489-ए)
- 1.3. धारा 4 और 5 के प्रभाव से छुट दिए गए अपवाद केवल एक रैयत या एक अंडर-रैयत या एक गैर-कृषि किरायेदार के अधिकार हैं और अधिनियम की धारा 6 के तहत एक मध्यस्थ को कब्जा बनाए रखने का अधिकार है। मध्यस्थों की या मध्यस्थों से लीज के तहत भूमि रखने वाले अन्य व्यक्तियों के अन्य सभी अधिकार, किसी भी प्रकृति के हित या हक को भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए। (489-सी)

- 1.4. संपदाओं और उनमें अधिकारों के लिए सभी अनुदान और स्वामित्व की पुष्टि, जिस पर निहित होने की घोषणा लागू होती है और जो मध्यस्थों के पक्ष में किए गए थे, अधिनियम की धारा 5(1)(बी) के संचालन से निर्धारित और बंद कर दिए जाएंगे।(489-डी)
- 1.5. प्रत्यर्थीगण के टैंक मत्स्य पालन में पट्टा अधीन हित के क्रेता होने के कारण यह हित भी समाप्त हो गया।
- 1.6. किसी संपदा में स्थित भूमि पर पहले से मौजूद अधिकार, स्वामित्व और हित अधिसूचित तिथि यानी 1 जून, 1956 से समाप्त हो गए और उनका प्रभाव समाप्त हो गया और सभी भार से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो गए। धारा 6 के तहत गैर-अवस्थायी खंड धारा 6(2) के अधीन, धारा 6 के अंतर्गत होने वाली भूमि पर भौतिक कब्जा बनाए रखने के लिए केवल प्रत्यर्थी के हित को धारा 4 और 5 के प्रभाव से बाहर रखा गया है। धारा 10(2) के प्रभाव द्वारा मध्यस्थ को टैंक मत्स्य पालन पर कब्जा बनाए रखने के अपने आशय की धारा 10(1) के तहत नोटिस जरी करने की तारीख से 60 दिनों के भीतर फाॅर्म 'बी में जमा करना होगा। फाॅर्म 'बी' के ऐसे जमा करने पर, कलेक्टर उसे बेदखल किए बिना ऐसे नियम और शर्ते निर्धारित करने का हकदार होगा, जिसके लिए मध्यस्थ या पट्टेदार बाध्य होगा और टैंक मत्स्य पालने को अपने पास

रखेगा और टैंक मत्स्य पालन का उपयोग करते हुए कब्जे में रहेगा। मछली पालन या मछली पकड़ने के लिए और ऐसे किराए के भुगतान के अधीन जो अधिनियम के तहत निर्धारित किया जा सकता है और अंततः अधिकारों के रिकॉर्ड में दर्ज किया जा सकता है।(491-जी एच, 443-ए)

- 1.7. धारा 6 के तहत मध्यस्थ द्वारा एक बार धारित की गई और फॉर्म 'बी' की घोषणा के अनुसरण में प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार की गई भूमि पर मध्यस्थ कब्जा बनाए रखने का हकदार है और जब तक वह नियमों और शर्तों, जो लगाई गई हैं, यदि कोई हो, का अनुपालन करता है तथा अधिरोपित किए गए किराए का भुगतान किया जा रहा है तो बेदखली के लिए उत्तरदायी नहीं है।(492-ई)
- 1.8. अधिनियम का स्वीकृत उद्देश्य कसी जिले या जिले के किसी हिस्से में संपदा में स्थित भूमि में मध्यस्थ के पहले से मौजूद अधिकार, हक और हित को छीनना है और रैयत या उसके अधीन रैयत या गैर कृषि किरायेदार को छोड़कर जमींदार या मध्यस्थ से छीन लिया जाएगा। इस तरह की वंचित किए जाने की क्रिया के बावजूद मध्यस्थ को इसका अधिकार दिया गया है। सीधे ही राज्य के अधीन किरायेदार के रूप में कब्जा रखे और बनाए रखे, ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन और किराए के भुगतान के अधीन, जैसा कि अधिनियम के तहत निर्धारित किया जा

सकता है। इसिलए, इस मामले में टैंक मत्स्य पालन वाली भूमि पर कब्जा बनाए रखने का अधिकार पूर्ण नहीं है, लेकिन 60 दिनों के भीतर फाॅर्म 'बी' दाखिल करके कब्जा बनाए रखने के अपने इरादे को व्यक्त करने और किराए का भुगतान करने तथा ऐसी शर्तों और निबंधनों के पालन, जैसी अधिरोपित की जा सके, के अधीन है।(492- जी एच, 443-ए)

- 1.9. धारा 6(1)(ई) "टैंक मत्स्य पालन" के स्पष्टीकरण के संचालन से न केवल निहित होने की तिथि पर यह एक टैंक मत्स्य पालन होना चाहिए, बल्कि इसका उपयोग मछली पालन या मछली पकड़ने के लिए भी किया जाना चाहिए स्पष्ट रूप से उपयोग किए जाने पर जोर इस बात पर है कि टैंक मत्स्य पालन का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए जारी रखा जाना चाहिए, अर्थात् मछली के अंकुर या मछली को सार्वजनिक उपभोग के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए।(493-बी)
- 1.10. मध्यस्थ टैंक मत्स्य पालन के रूप में निहित होने की तिथि पर टैंक मत्स्य पालन को अपने पास रखेगा, लेकिन उसके बाद मछली पालन या मछली पकड़ने के लिए इसे धारण और उपयोग करना जारी रखेगा जैया कि अधिनियम के स्पष्टीकरण 6(1)(ई) में बताया गया है। बाद में भूमि को टैंक मत्स्य पालन के रूप में परिवर्तित करना सार्थक नहीं है। (493-डी)

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कृष्ण गोपाल एवं अन्य, (1988) अनुपूरक 2 एस सी आर 391 और सांसका शेखर मैती व अन्य बनाम भारत संघ, (1980)3 एस सी आर 1209 उद्ध्त।

सरोज कुमार बोस बनाम कनाईलाल मंडल एवं अन्य (1985)2 एस सी आर 393 और पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अतुल कृष्ण शाॅ एवं अन्य (1990) अनुपूरक 1 एस सी आर 901, समझाया।

1.11. धारा 44 की उपधारा (1) के तहत'

है कि राज्य सरकार या उसके अधिकारी अपने बंदोबस्ती कार्यक्रम में या अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन परिकल्पित आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर अधिकारों के अभिलेख को संशोधित करने और अभिलेख के प्रासंगिक काॅलम में आवश्यक प्रविष्टियां या सुधार करने के हकदार होंगे। धारा 44(3) के तहत आदेश तब तक अंतिम होता है जब तक कोई संशोधन प्रभावी नहीं होता। इसलिए, पुनन्न्याय का प्रश्न ही नहीं उठता और पिछला अपीलीय आदेश अधिकारियों को अधिकारों के रिकाॅर्ड को संशोधित करने से नहीं रोकता है।(492-बी)

1.12. उच्च न्यायालय की खंडपीठ का यह निष्कर्ष सही नहीं है कि धारा 44(3) के तहत अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम है और अधिकारियों के पास अधिकारों के रिकाॅर्ड को संशोधित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।(492-सी)

- 1.13. धारा 6 की उपधारा (2) स्पष्ट रूप से बताती है कि यदि उसके पास टैंक मत्स्य पालन है तो मछली पालन को टैंक में मछली पालन के लिए जारी रखा जाना चाहिए और यह ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन होगा और किराए के भुगतान के अधीन होगा जो तय किया जा सकता है। भूमि का धारण किया जाना किरायेदार के रूप में है, जोर इस बात पर है कि उसका कब्जा भूमि पर बिना किसी हित के हो। टी.पी. अधिनियम के तहत एक किरायेदार के पास भूमि में लीज होल्ड हित होता है। लेकिन धारा 6(2) में किराए के भुगतान और कब्जे को बनाए रखने के उद्देश्य से एक किरायेदार के रूप में और कुछ भी नहीं प्रतीत होता है। जहां तक टैंक मत्स्य पालन का सवाल है, हालांकि छूट दी गई है, यह मछली पालन या मछली पकड़ने के लिए निरंतर उपयोगकर्ता की शर्त के अधीन है।(495-ई)
- 1.14. अधिनियम की योजना से ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यस्थ या पट्टेदार को टैंक मत्स्य पालन में कोई पूर्ण अधिकार नहीं मिलता है जिसे पहले ही विनिवेश कर दिया गया था, लेकिन खास कब्जे में रहने और उसके उपभोग का आनंद लेने के लिए या मछली पालन या मछली पकड़ने के लिए है जो कि बिना किसी हित या मिट्टी के अधिकार के है और ऐसे

नियमों और शर्तों के अधीन और अधिनियम के तहत निर्धारित किराए के भुगतान के अधीन है, लेकिन उसके मालिक के रूप में नहीं। इसलिए, उच्च न्यायालय का यह निर्देश कि प्रत्यर्थी भूमि के व्ययन के हकदार हैं, अधिनियम और नियमों की योजना के विपरीत है और उसे नकारने वाला है। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से अवैध है।(495-जी)

- 1.15. अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 10(2) के तहत प्रत्यर्थी को नोटिस जारी करने और जांच करने और पता लगाने के लिए स्वतंत्र है:(1) निहित होने की तारीख पर कि क्या भूमि का उपयोग मछली पालन या मछली पकड़ने यानी टैंक मत्स्य पालन के लिए किया जा रहा था; (2) क्या प्रत्यर्थी ने विकल्प का प्रयोग करते हुए निर्धारित समय के भीतर फॉर्म 'बी टैंक मत्स्य पालन के रूप में विचाराधीन भूमि पर कब्जा बनाए रखने के लिए जमा किया था; और (3) क्या प्रत्यर्थी प्रश्लाधीन भूमि का उपयोग टैंक मत्स्य पालन के रूप में करना जारी रख रहा है। प्रत्यर्थीगण को अपना मामला साबित करने के लिए उचित अवसर दिए जाएंगे।(496-ए-बी)
- 1.16. जांच करने पर यदि यह पाया जाता है कि निहित करने की तिथि पर भूमि टैंक मत्स्य पालन के लिए नहीं है या प्रत्यर्थी ने निर्धारित अविध के भीतर टैंक मत्स्य पालन के रूप में भूमि पर कब्जा बनाए रखने

के लिए फॉर्म 'बी' में विकल्प प्रस्तुत नहीं किया है, तो भूमि सभी बाधाओं से मुक्त राज्य में निहित है और अधिकारी धारा 10(3) के साथ पठित धारा 10(1) के तहत भूमि पर कब्जा करने के हकदार हैं। यदि उसे पता चलता है कि स्वामित्व की तिथि पर भूमि का उपयोग टैंक मत्स्य पालन के रूप में किया जा रहा था और उत्तरदाताओं ने कब्जा बनाए रखने के लिए समय के भीतर विकल्प का प्रयोग किया और मछली पालन या मछली पकड़ने के लिए टैंक मत्स्य पालन का उपयोग जारी रखा है; और यदि इसका टैंक मत्स्य पालन पर कब्जा जारी है, तो यह ऐसे नियम और शर्तें लगाने के लिए स्वतंत्र है, यदि पहले से लगाई नहीं गई है, जो कि मछली पालन या मछली पकड़ने के लिए टैंक मत्स्य पालन के निरंतर उपयोग को सुनिश्वित करने के लिए, इस तरह के किराए के भ्गतान के अधीन जैसा कि तय या संशोधित किया जा सकता है आवश्यक हो सकता है और अंततः अधिकारों के अभिलेख में दर्ज किया जा सकता है। यदि प्रत्यर्थी इसका उल्लंघन करता है, तो यह राज्य के लिए कब्जा फिर से करने के लिए खुला है। यदि प्रत्यर्थी मछली पालन या मछली पकड़ने के लिए टैंक मत्स्य पालन का उपयोग नहीं कर रहा है या भूमि को अंतरित कर रहा है तो यह अपीलकर्ताओं के लिए भूमि पर कब्जा करने के लिए खुला है और प्रत्यर्थीगण द्वारा की गई सभी बिक्री राज्य के लिए बाध्य नहीं है। (496-सी-ई)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 1992 की 2485 कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय व आदेश दिनांकित 08.10.1991 एफ.एम.ए.टी संख्या 1991 की 2532 से।

अपीलकर्ताओं के लिए पी. एस. पोती और रधिन दास।

प्रत्यर्थीगण के लिए डॉ. शंकर घोष राज कुमार गुप्ता और पी. सी. कपूर।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति के. रामास्वामी द्वारा सुनाया गया था।

विशेष अनुमति प्रदान की गई।

यह अपील 1991 के एफ.ए.टी. नंबर 2532 में कलकता उच्च न्यायालय की खंड पीठ के 8 अक्टूबर 1991 के फैसले के खिलाफ की गई है। पहला प्रत्यर्थी, एक लिमिटेड कंपनी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 दीवानी आदेश संख्या 16339 (डब्ल्यू) 1988 के तहत परमादेश के लिए दायर की थी, कि अपीलकर्ताओं के दाग नंबर 1, खितयान नंबर 10, तौजी नंबर 56, जे.एल. नंबर 26, मौरा चैकगरिया पीएस के भीतर, कसबा में 128.40 एकड़ में भूमि के निहितार्थ को प्रभावी करने से रोकने के लिए एक परमादेश दिया जावे और पश्चिम बंगाल संपदा अधिग्रहण अधिनियम.

1953, 1954 के अधिनियम 1, के प्रावधानों के अनुसार, उसमें मौजूद टैंक मत्स्य पालन पर कब्जा लेने के से रोका जावे। विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थीगण को एक अवसर देने के बाद अधिनियम के धारा 10(2) के तहत भूमि का कब्जा लेने की कार्यवाही करने का निर्देश दिया। अपील पर खंडपीठ ने आक्षेपित फैसले में कहा कि अपीलकर्ताओं को पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही करनी चाहिए। उक्त फैसले की तारीख से दो महीने की अवधि और इसके विफल होने पर, प्रत्यर्थीगण अपने तरीके से भूमि से निपटने और निपटान करने के लिए स्वतंत्र होंगे, तब तक अपीलकर्ताओं को भूमि पर कब्जा करने से रोक दिया गया था। उक्त निर्देश के तहत धारा 136 के तहत उपरोक्त अपील दायर की गई है।

राजस्व अधिकारी ने अंततः प्रकाशित अधिकार अभिलेख से पाया कि विचाराधीन भूमि को 'बील' (दलदली भूमि) के रूप मंे वर्गीकृत किया गया था और टैंक मत्स्य पालन को 'बील मैश खास' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश और खंडपीठ ने पाया कि जब राजस्व अधिकारी ने पुराने जामा 1230.9 आना को तीन जामा 1.188 में संशोधित करने की कार्यवाही शुरू की और खाता संख्या 102 में; 396 रु., खाता नंबर 128 और 3024 रुपए और खाता नंबर 131 मंे, प्रत्यर्थी अधिनियम की धारा 44(3) के तहत अपनी अपील में सफल रहा, जिसमें भूमि को 'टैंक मत्स्य पालन' माना गया और इसलिए, पुराने जामा

को बनाए रखा जाना था। इसलिए खंडपीठ ने भूमि सुधार अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का निर्देश दिया।

श्री पी.एस. पोती, विद्वान वरिष्ठ वकील ने अपीलकर्ताओं के लिए तर्क दिया कि अधिनियम के धारा 4 और 5 के प्रभाव से, मत्स्य पालन उन हितों में से एक है जो समाप्त हो गया और राज्य सरकार में 1 जून 1956 से सभी दासित्वों से मुक्त होकर निहित हो गया। उत्तरदाताओं ने उसमें अधिकार, स्वामित्व और हित खो दिया है। धारा 6 केवल एक मध्यस्थ को कुछ प्रगणित भूमि पर कब्जा बनाए रखने में सक्षम बनाता है जिसमें "टैंक मत्स्य पालन" भी शामिल है, बशर्ते वह भूमि को बनाए रखने के अपने इरादे को व्यक्त करते हुए निर्दिष्ट समय के भीतर फाॅर्म 'बी में एक आवेदन करता है। चूंकि प्रत्यर्थी ऐसा करने में विफल रहा था, इसलिए टैंक मत्स्य पालन सहित पूरी भूमि राज्य में निहित हो गई। अधिकार अभिलेख में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार भूमि केवल बील (दलदली भूमि) है और टैंक मत्स्य पालन नहीं है और इसलिए, कब्जा बनाए रखने के विकल्प का प्रयोग भी उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि यह मानते हुए कि भूमि टैंक मत्स्य पालन है, अधिनियम के प्रभाव से जो बचाया गया वह प्रत्यर्थी का बिना किसी हित के भूमि को किरायेदार के रूप में रखने का अधिकार है, ऐसी शर्तों के अधीन खास (भौतिक) कब्जे में रहने का अधिकार सरकार द्वारा विहित निबंधन और शर्तों के तथा किराए के भुगतान अधीन है। चूंकि

प्रत्यर्थी ने विवाद उठाया था, इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस संबंध में धारा 10(2) के तहत जांच करने और धारा 10(1) के तहत इसके पिरणाम के अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया। खंड पीठ ने यह मानने में गंभीर गलती की कि जामा से संबंधित धारा 44(3) के तहत ट्रिब्यूनल के फैसले को अंतिम माना गया और भूमि को टैंक मत्स्य पालन के लिए रखा गया और प्रत्यर्थी सभी अधिकार, स्वामित्व व हित के साथ खास कब्जा उसमें एक मालिक के रूप में बनाए रखने का हकदार है। भूमि सुधार अधिनियम 1955 के तहत निर्देष्ट अवधि के भीतर कार्यवाही शुरू करने का निर्देश और इसमें विफल रहने पर प्रत्यर्थी को भूमि हस्तांतरित करने की दी गइ स्वतंत्रता रिट याचिका में मांगी गई राहत से परे है। इसलिए, खंड पीठ ने हस्तक्षेप करते हुए विधि की स्पष्ट त्रुटि कारित की।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान विरष्ठ वकील डाॅ. घोष ने तर्क दिया कि शुरुआत में देवेंद्र नाथ डे सरकार ने 1911 में मूल जमींदार हरिकशन मंडल से जमीनें खरीदी थीं और उनसे प्रत्यर्थीगण ने 1937 में पट्टे के अधिकार खरीदे थे और तब से वे भूमि का टैंक मत्स्य पालन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। जब धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी की गई, तो भूमि का उपयोग टैंक मत्स्य पालन के रूप में किया जा रहा था। इसके निहित होने के बावजूद, धारा 6(2) के संचालन से प्रत्यर्थी को मालिक के रूप में कब्जा बरकरार रखने का अधिकार है। इसके समर्थन में उन्होंने यूपी राज्य बनाम

कृष्ण गोपाल और अन्य(1988) पूरक 2 एससीआर 391, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अतुल कृष्ण शाॅ और अन्य(1990) अनुपूरक 1 एससीआर 91 और सांसका शेखर मैती और अन्य बनाम भारत संघ (1980)3 एससीआर 1209 को पेश किया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रत्यर्थी को भूमि से बेदखल करने का दायित्व केवल तभी उत्पन्न होगा जब कब्जा गैरकानूनी पाया गया हो। लेकिन धारा 6(2) और 10(5) के क्रियान्वयन से कब्जा वैध है। 1957 में धारा 44(3) के तहत पारित अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को अंतिम बनने की अनुमति दी गई है और यह घोषणा करने के लिए कि यह बील है और टैंक मत्स्य पालन नहीं है, राज्य द्वारा दायर किया गया सिविल दावा खारिज कर दिया गया, यह निष्कर्ष निकलता है कि विचाराधीन भूमि केवल "टैंक मत्स्य पालन" हैं। अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के संचालन से प्रत्यर्थी कब्जा बरकरार रखने का हकदार है और धारा के 10(1) के तहत बेदखली की कार्यवाही अवैध है। इसलिए, डिवीजन बेंच ने भूमि सुधार अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करने और उसके तहत कार्यवाही करने का उचित निर्देश दिया।

स्वीकृत रूप से यह अधिनियम 12 फरवरी, 1954 को लागू हुआ था। धारा 4(1) और (3) के तहत अधिसूचना निर्धारित तरीके से प्रकाशित की गई थी, जिसमें संपत्ति के निहित होने की तारीख निर्दिष्ट की गई थी और यह 1 जून, 1956 से लागू हुई थी। धारा 5 की उपधारा (1) के लागू होने से संपत्ति और संपत्ति में मत्स्य पालन सहित मध्यस्थों के सभी अधिकार निर्धारित और समाप्त हो जाएंगे और सभी भारों से मुक्त होकर राज्य में निहित हो जाएंगे। अधिनियम की धारा 2(एच) के तहत परिभाषित "अधिभार" का अर्थ है 'संपदा और उसमें मध्यस्थों के अधिकारों के संबंध में, इसमें रैयत या उप-रैयत या गैर-कृषि किरायेदार के अधिकार शामिल नहीं हैं, लेकिन, सिवाय इसके कि धारा 6 के प्रावधानों के तहत भूमि के मामले में एक मध्यस्थ द्वारा बनाए रखने की अनुमति दी गई, मध्यस्थों या अन्य व्यक्तियों से संबंधित, किसी भी प्रकृति के सभी अधिकार या हित शामिल हैं, जो समझौता की गई भूमि संपदा या उसकी उपज से संबंधित हैं। इसलिए, भूमि का स्वामित्व, अधिकर या हित जिसमें एक मध्यस्थ द्वारा आयोजित मत्स्य पालन शामिल है, समाप्त हो जाएगा और सभी भारों से मुक्त होकर राज्य में निहित हो जाएगा। प्रत्यर्थीगण के मामले के अनुसार, पट्टे के खरीदार होने के कारण टैंक मत्स्य पालन में उनका हित भी समाप्त हो गया। लिकन, हालांकि, चूंकि अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थीगण को एक मध्यस्थ के रूप में माना है, हम उसी आधार पर आगे बढ़ते हैं। धारा 4 और 5 के संचालन से छूट वाले अपवाद केवल रैयत या अंडर-रैयत या गैर-कृषि किरायेदार के अधिकार हैं और अधिनियम की धारा 6 के तहत एक मध्यस्थ को कब्जे में रखने का अधिकार दिया गया है। मध्यस्थों या मध्यस्थों से पट्टे के तहत भूमि रखने वाले अन्य व्यक्तियों के अन्य सभी

अधिकार, किसी भी प्रकृति के हित या थोड़े से संबंधित अधिकार भी समाप्त हो जाने चाहिए। सम्पदा की पुष्टि, जिस पर निहित होने की घोषणा लागू होती है और जो मध्यस्थों के पक्ष में की गई थी, अधिनियम की धारा 5(1)(बी) के संचालन से खारिज कर दी जाएगी और बंद कर दी जाएगी।

धारा 6 एक गैर-अस्थिर खंड द्वार अभिधारणा करती है कि धारा 4 और 5 में निहित किसी भी बात के बावजूद, एक मध्यस्थ, उपधारा (2) के परंतुक में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, "निहित करने की तिथि से प्रभावी रूप से बनाए रखने के लिए" शीर्षक से. लेकिन उस उपधारा के अन्य प्रावधानों के अधीन होगा। इसमें खंड (ई) द्वारा कवर किए गए 'टैंक मत्स्य पालन' सहित विभिन्न प्रकार की भूमि जैसे होमस्टेड आदि की गणना की गई है। 'टैंक मत्स्य पालन' की व्याख्या का अर्थ है, "पानी के भंडारण के लिए एक जलाशय या स्थान, चाहे वह प्राकृतिक रूप से खुदाई से बना हो या तटबंधों के निर्माण से, जिसका उपयोग मछली पालन या मछली पकड़ने के लिए किया जा रहा है, साथ में उप-मिट्टी और ऐसे जलाशय या स्थान के किनारे, बैंकों के ऐसे हिस्से को छोड़कर जो किसी वासभूमि या बगीचे या बाग में शामिल हैं और ऐसे जलाशय या स्थान में कोई भी अधिकार या मछली पालन या मछली पकड़ने का अधिकार शामिल है।" इसलिए, यदि टैंक मत्स्य पालन से बनी भूमि, चाहे वह प्राकृतिक रूप से बनी हो या खुदाई से या तटबंधों के निर्माण से मछली पालन या मछली

पकड़ने के लिए उपयोग की जा रही हो, तो मध्यस्थ कब्जा बनाए रखने के हकदार हो जाते हैं, भले ही मध्यस्थों से अधिकार, स्वामित्व और हित छीन लिया गया हो। यह अधिनियम की धारा 10(5) द्वारा प्रकट किया गया है जो यह बताता है कि

का विशेष कब्जा या उसमें किसी मध्यस्थ के किसी भी अधिकार को लेने के लिए अधिकृत नहीं करेगा, जिसे धारा 6 के तहत बरकरार रखा जा सकता है।' धारा 6 की उपधारा (2) में घोषणा की गई है कि, "एक मध्यस्थ जो उपधारा (1) के तहत किसी भी भूमि पर कब्जा बनाए रखने का हकदार है, उसे "ऐसी भूमि को सीधे राज्य के अधीन रखने वाला माना जाएगा।" किरायेदार, ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन, जो निर्धारित किए जा सकते हैं और ऐसे किराए के भ्गतान के अधीन हैं, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित किया जा सकता है और जैसा कि अध्याय 5 के तहत अंतिम रूप से प्रकाशित अधिकारों के रिकाॅर्ड में दर्ज किया गया है, सिवाय इसके कि कोई किराया देय नहीं होगा। खंड (एच) या (1) में निर्दिष्ट भूमि, बशर्ते कि यदि कोई टैंक मत्स्य पालन या चाय-बगीचे, या बाग, मिल, कारखाने या कार्यशाला में शामिल कोई भी भूमि पट्टे के तहत निहित होने की तारीख से ठीक पहले आयोजित की गई थी, तो ऐसा पटटा होगा राज्य सरकार द्वारा दिया गया माना जायेगा। ऐसी तारीख से ठीक

पहले के समान नियमों और शर्तों पर और ऐसे संशोधन के अधीन, जो राज्य सरकार उचित समझे।

धारा 49 के तहत अधिसूचना जारी करने पर, धारा 52 में अध्याय 2 आदि में शामिल रैयतों और कम रैयतों से निपटने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसमें कहा गया है कि अध्याय 2 में प्रावधान ऐसे संशोधनों के साथ होंगे जो आवश्यक हो सकते हैं, यथोचित परिवर्तनों के साथ रैयतों या उसके तहत लागू होंगे। रैयत ऐसे हैं जैसे कि ऐसे रैयत या गैर-रैयत मध्यस्थ थे और उनके पास मौजूद भूमि सम्पदा थी और रैयत या अंडर-रैयत के अधीन रहने वाला ऐसा व्यक्ति धारा 5 के खंड (सी) और (डी) के प्रयोजन के लिए रैयत था बशर्ते कि, जहां कोई रैयत या उप-रैयत धारा 6 के तहत किसी भी जमीन को अपने पास रखता है, तो धारा 6 की उपधारा (2) में निहित कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, वह उसके खंड ए से डी में निर्धारित किराए का भुगतान करेगा। धारा 5(सी) के तहत किसी मध्यस्थ के अधीन कोई भी जमीन रखने वाला प्रत्येक रैयत उसे सीधे राज्य के अधीन रखेगा जैसे की राज्य मध्यस्थ था और निहित होने की तारीख से ठीक पहले उन्हीं नियमों और शर्तों पर होगा। इस प्रकार रैयत या उप-रैयत का उसके कब्जे और उपभोग की भूमि पर अधिकार, स्वामित्व और हित स्रक्षित रहता है। कानून के प्रभाव से वे धारा 52 के तहत लगाए जा सकने वाले नियमों और शर्तों और अधिसूचना की तारीख

पर मौजूदा या समय-समय पर संशोधित और अंततः अधिकारों के रिकाॅर्ड में दर्ज किए गए जामा के भुगतान के अधीन पूर्ण मालिक बन गए।

जिस संपत्ति पर घोषणा लागू की गई है, उसमें मध्यस्थों के पहले से मौजूद अधिकार सभी भारों से मुक्त होकर राज्य में निहित होंगे। धारा 6 में मध्यस्थ के निहित अधिकार, शीर्षक और हित को राज्य से छीनने का प्रभाव नहीं है। अधिकारों में से एक यानी बिचैलियों द्वारा रखा गया कब्जा ही धारा 4 और 5 के प्रभाव से धारा 6 द्वारा बचाया गया एकमात्र हित है। मत्स्य पालन अधिकार भी निहित थे। उसमें पहले से मौजूद अधिकार, स्वामित्व और हित भी राज्य के विरुद्ध निर्धारित किये जायेंगे और समाप्त हो जायेंगे। धारा 10 के तहत कलेक्टर के पास प्रतीकात्मक कब्जा था। लेकिन धारा 6(1) में गैर-अवरोधक खंड के उपयोग से प्रत्यर्थी टैंक मत्स्य पालन के खास कब्जे को बनाए रखने का हकदार बन गया, और वह ऐसी निर्धारित शर्तों और ऐसे किराए के भुगतान के अधीन जो समय-समय पर अधिनियम के तहत निर्धारित किया जा सकता है जैसा कि अंततः अधिकारों के रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यदि धारा 6 की उपधारा (2) के प्रावधानों के संचालन द्वारा निहित होने की तारीख से पहले किसी भी टैंक मत्स्य पालन के मध्यस्थ द्वारा कोई पट्टा दिया गया है, तो पट्टा राज्य सरकार द्वारा दिया गया माना जाएगा और ऐसे नियम व शर्तें उनमें संशोधन के अधीन, जैसा राज्य सरकार उचित समझे। टैंक मत्स्य पालन

के मध्यस्थ द्वारा भूमि की ऐसी होल्डिंग किरायेदार के रूप में होगी। ब्लैक लॉ डिक्शनरी, 6 वें संस्करण, पृष्ठ 1316 में 'रिटेन' शब्द को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है धारण करना, रखना, उपयोग करना, पहचानना आदि और रखना। कोलिंग्स इंग्लिश डिक्शनरी में पेज 1244 पर' 'किसी के कब्जे में रखना, रखने या बनाए रखने में सक्षम होना, स्थिति में बनाए रखना, रिटेनर या नाममात्र शुल्क का भुगतान करके किसी के भविष्य के उपयोग के लिए रखना के रूप में परिभाषित किया गया है। वेबस्टर काॅम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी, इंटरनेशनल एडिशन, खण्ड 2 में, पृष्ठ 1075 पर, 'रखरखाव' शब्द को परिभाषित किया गया है, 'किसी के कब्जे में रखना या जारी रखना'।

अधिनियम की धारा 10(2) कलेक्टर को, धारा 10(1) के तहत संपति और मध्यस्थों के हित का प्रभार लेने के बाद, निर्धारित तरीके से एक लिखित आदेश जारी करने का अधिकार देती है, जिसमें मध्यस्थ या कब्जे वाले किसी भी व्यक्ति की (खास या प्रतीकात्मक) आवश्यकता होती है। ऐसी किसी संपत्ति या किसी हित का आदेश में निर्दिष्ट तारीख तक ऐसा कब्जा छोड़ना होगा जो आदेश की तामील की तारीख से 60 दिन से पहले नहीं होगा, आदि। धारा 10 की उपधारा 5 उसे धारा 6 के तहत रखी गई संपत्ति में मध्यस्थ के किसी भी अधिकार पर खास कब्जा लेने से रोकती है।

संयुक्त परिचालन परिदृश्य हमें यह निष्कर्ष निकालने में सहायता करता है कि किसी क्षेत्र में स्थित भूमि में पहले से मौजूद अधिकार, स्वामित्व और हित अधिसूचित तिथि यानी 1 जून, 1956 को समाप्त हो गए और उनका प्रभाव समाप्त हो गया और राज्यों में सभी भारों से मुक्त होकर निहित हो गए। धारा 6 के तहत गैर-अवरोधक खंड धारा 6(2) के अधीन, धारा 6 के अंतर्गत आने वाली भूमि के भौतिक कब्जे को रोकने के लिए केवल प्रत्यर्थी के हित को धारा 4 और 5 के संचालन से बाहर रखा गया है। धारा 10(2) के संचालन द्वारा मध्यस्थ को टैंक मत्स्य पालन पर कब्जा बनाए रखने के अपने इरादे को धारा 10(1) के तहत नोटिस जारी करने की तारीख से 60 दिनों के भीतर फॉर्म 'बी में जमा करना होगा। फॉर्म 'बी' के इस तरह प्रस्तुत करने पर, कलेक्टर उसे बेदखल किए बिना ऐसे नियम और शर्तें निर्धारित करने का हकदार होगा, जिसके लिए मध्यस्थ या पट्टेदार बाध्य होगा और टैंक मत्स्य पालन को अपने पास रखेगा और टैंक मत्स्य पालन का उपयोग करते हुए कब्जे में रहेगा। मछली पालन या मछली पकड़ने के लिए और ऐसे किराए के भुगतान के अधीान जो अधिनियम के तहत निर्धारित किया जा सकता है और अंततः अधिकारों के रिकॉर्ड में दर्ज किया जा सकता है।

अध्याय 5 में धारा 39 के तहत, राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करना है। यह किसी भी जिले या जिले के एक हिस्से में किसी संपत्ति की भूमि के संबंध में निर्धारित तरीके से अधिकारों का अभिलेख तैयार करेगा। धारा 44 तैयार या "संशोधित" अधिकारों के अभिलेख के मसौदे और अंतिम रिकॉर्ड के प्रकाशन की प्रक्रिया प्रदान करती है। इसकी उपधारा (1) में कहा गया है कि जब अधिकारों का अभिलेख तैयार किया गया है या "संशोधित" किया गया है तो राजस्व अधिकारी द्वारा इसे निर्धारित तरीके से प्रकाशित करने का आदेश दिया गया है। उसमें किसी भी प्रविष्टि या किसी गलती के संबंध में आपत्तियां प्राप्त होने पर, वह उस पर विचार करेगा और अधिनियम की धारा 5 ए के तहत एक आदेश पारित करना अपेक्षित है। धारा 44 की उपधारा (1) के प्रावधान के कार्यान्वयन से, धारा 5 ए के तहत पारित आदेश अंतिम होगा, धारा 44(3) के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के अधीन होगा और उस आदेश की निरंतरता के दौरान यह पुनः खोले जान योग्य नहीं होगा। प्रत्यर्थी अपने तर्क में सही नहीं है, जैसा कि उच्च न्यायालय से पक्ष में पाया गया कि एक बार की गई प्रविष्टियां अंतिम होंगी और उन्हें कभी भी संशोधित नहीं किया जा सकता है। धारा 44 की उपधारा (1) के तहत 'संशोधित' शब्द इंगित करता है कि राज्य सरकार या उसके अधिकारी अपने बंदोबस्ती कार्यक्रम में या अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन परिकल्पित आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर अधिकारों के अभिलेख को संशोधित करने और अभिलेख के प्रासंगिक काॅलम में

आवश्यक प्रविष्टियां या सुधार करने के हकदार होंगे। धारा 44(3) के तहत आदेश तब तक अंतिम होता है जब तक कोई संशोधन प्रभावी नहीं होता है। इसलिए, पुनन्न्याय का प्रश्न ही नहीं उठता और पिछला अपीलीय आदेश अधिकारियों को अधिकारों के अभिलेख को संशोधित करने से रोकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय की खंडपीठ का यह निष्कर्ष सही नहीं है कि धारा 44(3) के तहत अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम है और अधिकारियों के पास अधिकारों के रिकाॅर्ड कोा संशोधित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। 1973 के अधिनियम संख्या 33 द्वारा अधिनियम में संशोधन के बाद धारा 57 बी को ऐसे कानून के तहत लाया गया था जिसने सिविल अदालतों के क्षेत्राधिकार पर रोक लगा दी थी और अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों से निपटने के लिए राजस्व अधिकारियों को विशेष क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया था। इसलिए मुकदमे को निरस्त किए जाने का कोई खास महत्व नहीं है।

अपीलकर्ताओं का तर्क है कि निहित करने की तिथि पर भी विचाराधीन भूमि" "

अभिलेख में प्रविष्टियों से पता चलता है कि विचाराधीन भूमि का उपयोग आवासभूमि या कृषि प्रयोजन के लिए किया जा रहा है और इसलिए, यह टैंक मत्स्य पालन नहीं है। प्रत्यर्थीगण ने सरकार के रुख पर विवाद किया और इसलिए यह तथ्य का एक विवादित प्रश्न है। हम इसमें जाने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं, न ही ऐसा निर्णय लेते हैं। यह सच है, जैसा कि डॉ. घोष ने सही तर्क दिया है, कि भूमि एक बार मध्यस्थ द्वारा धारा 6 के तहत रखी जाती है और 'बी' घोषणा पत्र के अनुसार अधिकारियों द्वारा स्वीकार की जाती है, तो मध्यस्थ कब्जा बनाए रखने का हकदार है और बेदखल करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। जब तक वह लगाए गए नियमों और शर्तों, यदि कोई हो, का अनुपालन करता है और लगाए गए किराए का भ्गतान किया जा रहा है। अधिनियम का स्वीकृत उद्देश्य किसी जिले या जिले के किसी हिस्से में संपत्ति में स्थित भूमि में मध्यस्थ के पहले से मौजूद अधिकार, स्वामित्व और हित को छीनना है और रैयत या अंडर-रैयत या गैर-कृषि किरायेदार को छोड़कर जमींदार या मध्यस्थ से अलग हो जाएगा। इस तरह के विनिवेश के बावजूद मध्यस्थ को राज्य के तहत सीधे कब्जा रखने और बनाए रखने और किरायेदार के रूप में रखने का अधिकार दिया गया है, ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन और किराए के भ्गतान के अधीन जो अधिनियम के तहत निर्धारित किया जा सकता है। अतः, भूमि पर कब्जा बनाए रखने का अधिकार अर्थात् इस मामले में टैंक मत्स्य पालन पूर्ण नहीं है, लेकिन 60 दिनों के भीतर फाॅर्म बी दाखिल करके अपने कब्जा बनाए रखने के इरादे को व्यक्त करने की पूर्ववर्ती शर्तों के साथ और नियमों और शर्तों का पालन करके जो कि अधिरोपित की गई है और किराया भी अदा करके बचाव किया गया है। धारा 6(1)(ई) के

स्पष्टीकरण के संचालन से "टैंक मत्स्य पालन" न केवल निहित होने की तिथि पर एक टैंक मत्स्य पालन होना चाहिए, बल्कि इसका उपयोग मछली पालन या मछली पकड़ने के लिए भी जारी रहना चाहिए। 'उपयोग किए जाने' पर जोर स्पष्ट रूप से यह है कि टैंक मत्स्य पालन का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए जारी रखा जाना चाहिए, अर्थात मछली के अंकुर या मछली को सार्वजनिक उपभोग के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। डॉ. घोष सही हैं कि महत्वपूर्ण तिथि टैंक मत्स्य पालन के संबंध में भी निहित होने की तारीख है। इतना ही नहीं मध्यस्थ टैंक मत्स्य पालन को टैंक मत्स्य पालन के रूप में निहित करने की तिथि पर अपने पास रखेगा, लेकिन उसके बाद मछली पालन या मछली पकड़ने के लिए इसे धारण और उपयोग करना जारी रखेगा, जैसा की अधिनियम के स्पष्टीकरण 6(1)(ई) में बताया गया है। बाद में भूमि को टैंक मत्स्य पालन के रूप में परिवर्तित करना सार्थक नहीं है।

क्या, वास्तव में, इसका उपयोग निहित होने की तारीख यानी 1 जून 1956 को एक टैंक मत्स्य पालन के रूप में किया गया था और इसे इसी रूप में उपयोग किया जाता रहा या बाद में परिवर्तित किया गया, यह तथ्य का प्रश्न है जिसका निर्णय प्रत्यर्थीगण को उचित अवसर देने के बाद किया जाना चाहिए। समान रूप से क्या प्रत्यर्थीगण ने धारा 4 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनाें के भीतर या धारा 10(1), आदि के तहत नोटिस के प्रकाशन की तारीख से टैंक मत्स्य पालन पर कब्जा बनाए रखने के विकल्प का प्रयोग किया, यह भी निर्धारित किया जाने वाला तथ्य का प्रश्न है।

सरोज कुमार बोस बनाम कनाईलाल मंडल और अन्य (1985) 2 एससीआर 393 में यह तथ्य थे कि पूर्ववर्ती ने प्रत्यर्थीगण के हित में अधिनियम लागू होने से पहले एक पंजीकृत पट्टा-विलेख के तहत उप-मृदा अधिकारों के बिना मत्स्य पालन अधिकार का स्थायी पट्टा ले लिया था और उनका कब्जा बना रहा था और भूमि को टैंक मत्स्य पालन के रूप में कर रहे थे। पट्टादाता ने ब्याज सहित किराया वसूलने के लिए मुकदमा दायर किया। अपीलकर्ता पट्टेदार ने यह तर्क देते हुए मुकदमे के दायित्व का विरोध किया कि टैंक मत्स्य पालन राज्य में निहित है और इसलिए, वह पट्टेदारों को किराया देने के अपने दायित्व से मुक्त हो गया है। विचारणीय न्यायालय ने मुकदमे का फैसला सुनाया। अपील पर, इसकी पुष्टि की गई। अपील को खारिज करते हुए, इस अदालत ने माना कि अधिनियम की धारा 6 के संचालन से एक मध्यस्थ द्वारा टैंक मत्स्य पालन पर कब्जा बनाए रखने का अधिकार बचाया गया था और इसलिए, पट्टादाता खास कब्जे में बने रहने के लिए मध्यस्थ के रूप में काम करता रहा। राज्य में निहित संपत्ति के बावजूद, टैंक मत्स्य पालन पट्टेदार के कब्जे में रहा। उस संदर्भ में यह अभिनिर्धारित किया गया, जैसा कि डाॅ.

घोष ने निर्भर किया था, कि मध्यस्थ द्वारा संपत्ति को बनाए रखने के लिए खास का कब्जा एक आवश्यक शर्त नहीं है। राज्य ने वादीगणों से किराया वसूल कर उन्हें किरायेदार के रूप में मान्यता दी थी। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि वादी का हित राज्य में निहित नहीं है।

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अतुल कृष्ण शा एवं अन्य, (1990) अनुपूरक 1 एससीआर पृष्ठ 90, इस न्यायालय की एक पीठ द्वारा जिसमें हममें से एक (के. रामास्वामी. जे.) सदस्य थे, तथ्य यह थे कि संपत्ति राज्य में निहित होने के बाद, टैंक मत्स्य पालन प्रत्यर्थी मध्यस्थों के कब्जे में रहा। भूमि के वर्गीकरण मंे सुधार के लिए सवतः संज्ञान कार्यवाही इस आधार पर की गई कि भूखंडों को गलत तरीके से मत्स्य पालन भूखंडों के रूप में दर्ज किया गया था। प्रत्यर्थीगण ने यह कहते ह्ए पुनः वर्गीकरण पर आपत्ति जताई कि वे भूमि में मछली पालन की खेती जारी रख रहे हैं। प्रत्यर्थीगण का दावा निपटान अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। अपील पर, अधिकरण ने निपटान अधिकारी के आदेश को उलट दिया और टैंक मत्स्य पालन के रूप में मूल वर्गीकरण की पृष्टि की। राज्य द्वारा उच्च न्यायालय में दायर एक रिट याचिका पर, इसे सीमित समय में खारिज कर दिया गया। अपील की अन्मित देते समय, इस अदालत ने माना कि इस बात पर विचार करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख कि क्या भूमि का उपयोग टैंक मत्स्य पालन के रूप में किया जा

रहा था, स्वामित्व और उसके बाद के रूपांतरण की तारीख महत्वपूर्ण नहीं थी और अधिनियम की धारा 6(2) के संचालन से, टैंक मत्स्य पालन को अधिनियम की धारा 4 और धारा 5 के संचालन से बाहर रखा गया। पेज नंबर 101 ए और बी पर दिए गए निष्कर्षों पर अपना मामला आधारित करते हुए अतः जब जलाशय या पानी के भंडारण के लिए कोई स्थान, चाहे वह प्राकृतिक रूप से बना हो या खुदाई से या तटबंध के निर्माण से, मछली पालन या मछली पकड़ने के लिए उपयोग किया जा रहा हो, तो यह स्पष्ट रूप से आजीविका के स्रोत के रूप में एक सतत प्रक्रिया है, जो धारा 6(1) (ई) के अर्थ के अंतर्गत 'टैंक मत्स्य पालन' होगा। ऐसे टैंकों को धारा 4 और 5 के संचालन से बाहर रखा गया है और महत्वपूर्ण तिथि निहित होने की तिथि है।

जैसा कि पहले देखा गया है, धारा 4 और 5 के संचालन का प्रभाव मध्यस्थों को संपत्ति में उसके पहले से मौजूद अधिकार, स्वामित्व और हित से वंचित कर रहा है, सिवाय उन लोगों के जिन्हें अधिनियम के संचालन से छूट दी गई थी। छूटों में से एक अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत आने वाली भूमि का कब्जा बनाए रखना है। धारा 6(1)(ई) टैंक मत्स्य पालन उनमें से एक है। उपधारा (2) इसके प्रभाव को बढ़ाती है। उपधारा (2) टैंक मत्स्य पालन के एक मध्यस्थ की रखी गई भूमि के पहले से मौजूद स्वामित्व अधिकार को किरायेदार के रूप में बिना किसी हित के धारक में

स्थानांतरित कर देती है। कानून की कल्पना के अनुसार प्रत्यर्थी को सीधे राज्य के अधीन कब्जे के "धारक"के रूप में किरायेदार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो कि निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन था और समय-समय पर निर्धारित किराए के भूगतान के अधीन था। अतः टैंक मत्स्य पालन के भौतिक (खास) कब्जे को बनाए रखने का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) और (2) के गैर-विषयक खंड द्वारा बचाया गया था। अतल किशन शां के मामले में जो अभिप्रेत था वह यह था कि धारा 6(2) ने टैंक मत्स्य पालन पर कब्जा बनाए रखने से बचाया और संपति में निहित अधिकारों आदि से राज्य को अलग नहीं किया। आंध्र के दक्षिण भारतीय राज्यों और मद्रास प्रांत के तमिलनाड़ आदि में, जी मद्रास एस्टेट (उन्मूलन और रैयतवारी में रूपांतरण) अधिनियम, 1948 का 26 लागू है। राज्यों के पुनर्गठन के बाद, तमिलनाइ में इसे तमिलनाइ अधिनियम कहा जाता है और आंध्र प्रदेश में इसे आंध्र प्रदेश (आंध्र क्षेत्र) अधिनियम कहा जाता है। इसके तहत धारा 11 कब्जे वाले रैयत को रैयतवारी पट्टा देने की प्रक्रिया प्रदान करती है। धारा 3(2)(डी) परंतुक एक रैयत को तब तक बेदखली से वैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है जब तक कि रैयतवारी पट्टा प्रदान नहीं किया जाता है। धारा 12 लगायत 14 भूमिधारक को पट्टा प्राप्त करने का अधिकार देता है और धारा 15 बंदोबस्त अधिकारी को भूमिधारक को पट्टा देने का अधिकार देती है। धारा 19 में प्रावधान है

कि "जहां कोई भी रैयती या गैर-रैयत भूमि किसी भूमिधारक द्वारा जुलाई, 1945 के पहले दिन से पहले गैर-कृषि उद्देश्य के लिए बेची गई है, क्रेता भूमि को अपने पास रखने का हकदार होगा, बशर्ते कि वह सरकार को रैयतवारी मूल्यांकन या भूमि किराया का भूगतान करे, जो भूमि पर लगाया जा सकता है और परंतुक के तहत यह घोषित किया गया था कि बिक्री उस समय लागू किसी भी कानून के तहत बिक्री शून्य या अवैध नहीं थी। उन प्रावधानों का उद्देश्य व्यवसाय में व्यक्ति को बिना किसी अतिरिक्त शर्त के रैयत या भूमिधारक को रैयतवारी अधिकार प्रदान करना है। उसके बाद वह रैयती भूमि का उपयोग करने का हकदार है जैसे कि वह उसका मालिक है और दायित्व केवल भूमि मूल्यांकन या सिस्ट का भुगतान करना है। भूमि के उपयोगकर्ता की प्रकृति पर कोई सीमा नहीं है। लेकिन अधिनियम मे भाषा भिन्न प्रतीत होती है। जहां तक रैयत या अंडर-रैयत का संबंध है, उनके साथ मध्यस्थ से अलग व्यवहार किया जाता है। जहां तक रैयत और गैर-रैयत का संबंध है, उनके पहले से मौजूद अधिकार, भूमि में स्वामित्व और हित समाप्त नहीं किया गया था और वह धारा-52 के तहत निर्धारित प्रक्रिया और संबंधित नियमों और किराए के भ्गतान के अनुसार पारित आदेशों के अधीन सीधे राज्य के तहत मध्यस्थ के रूप में अपने सभी अधिकारों को बनाए रचाने का हकदार है। लेकिन एक मध्यस्थ के मामले में, उसे धारा 6 के तहत आवास भूमि या इमारतों और संरचनाओं में शामिल या उनसे जुड़ी भूमि। खास के कब्जे में 25 एकड़ कृषि भूमि, कारखाने, कार्यशालाएं, टैंक मत्स्य पालन या अन्य प्रगणित संपत्तियां आदि बिना किसी ब्याज के और उन नियमों और शर्तों के अधीन हैं जो लगाए जा सकते हैं और प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार मौजूदा या संशोधित किराए का भूगतान किया जा सकता है। धारा 6 की उपधारा (2) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि वह टैंक रखता है तो मत्स्य पालन को टैंक मत्स्य पालन के रूप में उपयोग के लिए जारी रखा जाना चाहिए और यह ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन होगा और किराए के भूगतान के अधीन होगा जो तय किया जा सकता है। भूमि का स्वामित्व किरायेदार के रूप में है, इस बात पर जोर है कि उसका कब्जा भूमि पर बिना किसी हित के हो। टी.पी. अधिनियम के तहत एक किरायेदार का भूमि में पट्टाधारक हित होता है। लेकिन धारा 6(2) में किराए के भूगतान और कब्जे को बनाए रखने के उद्देश्य से एक किरायेदार के रूप में और इससे अधिक कुछ नहीं प्रतीत होता है। जहां तक टैंक मत्स्य पालन का सवाल है, हालांकि छूट दी गई है, यह मछली पालन के लिए निरंतर उपयोगकर्ता की शर्त के अधीन है। अधिनियम की योजना से ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यस्थ या पट्टेदार को उन टैंक मछलियों पर कोई पूर्ण अधिकार नहीं मिलता है जिन्हें पहले ही विनिवेशित कर दिया गया था, लेकिन खास के कब्जे में रहने और उसके उपभोग का आनंद लेने के लिए अर्थात् बिना किसी ब्याज उप मृदा अधिकारों के मछली पालन या मछली पकड़ने के लिए और इसके अधीन किराए के भुगतान के लिए और ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन जो अधिनियम के तहत निर्धारित किए गए हैं, लेकिन उसके मालिक के रूप में नहीं। अतः उच्च न्यायालय का यह निर्देश कि प्रत्यर्थीगण को भूमि के निपटान करने का अधिकार हैं, अधिनियम और नियमों की योजना के विपरीत और उसे नकारने वाला है। अतः यह स्पष्टतः अवैध है। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय के खंड पीठ के आदेश को अपास्त किया जाता है। एकल न्यायाधीश का निर्देश बहाल किया जाता है। अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 10(2) के तहत प्रत्यर्थी को नोटिस जारी करने और जांच करने और पता लगाने के लिए स्वतंत्र है:- (1) निहित होने की तारीख पर क्या भूमि का उपयोग मछली पालन या मछली पकड़ने के लिए किया जा रहा था अर्थात् टैंक मत्स्य पालन" (2) क्या प्रत्यर्थी ने टैंक मत्स्य पालन के रूप में भूमि पर कब्जा बनाए रखने के विकल्प का उपयोग करते हुए निर्धारित समय के भीतर फाॅर्म 'बी जमा किया था और (3) क्या प्रत्यर्थी विचाराधीन भूमि का उपयोग टैंक मत्स्य पालन के रूप में करना जारी रख रहा है। प्रत्यर्थीगण को अपना मामला साबित करने के लिए उचित अवसर दिए जाएंगे।

जांच करने पर यदि यह पाया जाता है कि निहित करने की तिथि को भूमि टैंक मत्स्य पालन के लिए नहीं है या प्रत्यर्थी ने निर्धारित अविध के भीतर टैंक मत्स्य पालन के रूप में भूमि का कब्जा बनाए रखने के लिए फाॅर्म 'बी' में विकल्प प्रस्तुत नहीं किया है, तो भूमि सभी अधिभार से मुक्त होकर राज्य में निहित हो जायेगी और अधिकारी धारा 10(1) सहपठित धारा 10(3) के तहत भूमि का कब्जा लेने के हकदार हैं। यदि यह पाया जाता है कि भूमि का उपयोग निहित करने की तिथि को टैंक मत्स्य पालन के रूप में किया जा रहा था और प्रत्यर्थीगण ने कब्जा बनाए रखने के लिए समय के भीतर विकल्प का प्रयोग किया और मछली पालन या मछली पकड़ने के उद्योग के लिए टैंक मत्स्य पालन का उपयोग जारी रखा है और यदि यह टैंक मत्स्य पालन के कब्जे में बना हुआ है, तो वह मछली पालन या मछली पकड़ने के लिए टैंक मत्स्य पालन के निरंतर उपयोग को स्निश्चित करने के लिए आवश्यक नियमों और शर्तों को लागू करने के लिए स्वतंत्र है, यदि पहले से नहीं लागू नहीं है, बशर्त की ऐसे किराए का भुगतान किया जाए जो तय या संशोधित हो और अंततः अधिकार अभिलेख में दर्ज किया जाए। यदि प्रत्यर्थी इसका उल्लंघन करता है, तो राज्य कब्जा लेने के लिए स्वतंत्र होगी। यदि प्रत्यर्थी टैंक मत्स्य पालन का उपयोग मछली पालने के लिए या मछली पकड़ने के लिए या भूमि को अन्यसंक्रांत कर रहा है तो अपीलकर्ताओं भूमि का कब्जा लेने के लिए स्वतंत्र है और यदि प्रत्यर्थीगण द्वारा की गई सभी बिक्री राज्य के लिए बाध्य नहीं है।

उपरोक्त संशोधन के साथ अपील तदनुसार स्वीकार की जाती है और उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा जारी किया गया नियम उपरोक्त सीमा तक संशोधित माना जाएगा और रिट याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है। इन परिस्थितियों में पक्षकारों को अपना खर्च स्वयं वहन करने का निर्देश दिया जाता है।

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेजिजेंस दूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कान्ता कुमारी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।